


दिनांक

४/११/१९

फर्द अहकाम

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में सायलान को प्रार्थी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 09/08/2019 तक विवादग्रस्त आराजी ख०न० 614 रकवा 0.19 है० ग्राम भौटवाडा तहसील टोडाभीम जिला करौली में आगामी पेशी तक वाद ग्रस्त आराजी में रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए जाते हैं।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नहीं होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है में परिवर्तन की दशा में संशोधित/वैकेंट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 09.08.2019 को पेश हो।


उप जिला कलक्टर

टोडाभीम जिला करौली

11.7.19

प्रार्थी वकील द्वारा प्रिसन तलब कर Not Press में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खान्जि करने का कथन किया एवं प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी वकील


Not Press
11/7

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम जिला क

दिनांक

फर्द अहकाम

मे पक्षकारान मे राजीनामा हो जाने से मुकदमे में आगे कार्यवाही नहीं चलाने और खारिज कराने का कथन किया। आदेशिका पर Not Press किया। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्पष्ट निवेदाना Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।



उप जिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)